**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 687**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**अस्थायी भवनों में आईआईटी**

**687. श्री मो॰ नदीमुल हकः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2005 के बाद घोषित कई नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अस्थायी भवनों में चलाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थायी भवनों में अंतरित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्थायी भवन होने के कारण नई आईआईटी द्वारा प्रतिवर्ष किराया और बस के किराये के लिए आईआईटी-वार कितना-कितना खर्च किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने लचर गति से काम के लिए संबंधित आईआईटी के जिम्मेदार प्राधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख): भारत सरकार ने** XI**वीं योजना अवधि के दौरान हैदराबाद, पटना, जोधपुर, भुवनेश्‍वर, इंदौर, रोपड़, गांधीनगर और मंडी प्रत्‍येक में एक-एक आईआईटी सहित कुल आठ नए आईआईटी स्‍थापित किए हैं। ये सभी 8 नए आईआईटी, अपेक्षित अवसंरचना जैसे कि शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाओं, उपकरण और छात्रावासों के साथ अस्‍थाई परिसरों से कार्य कर रहे हैं। स्‍थाई परिसरों में स्‍थानांतरित होने में विलंब के कारणों में संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा भूमि सौंपने, पर्यावरण मंजूरी में शामिल प्रकिया, सहायक अवसंरचना का निर्माण और कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण की वजह से उठने वाले मुद्दे शामिल हैं। सरकार नियमित निरीक्षणों, बैठकों और वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य की निगरानी कर रही है।**

**संस्‍थानों के अपने स्‍थाई परिसरों में स्‍थानांतरित होने की संभावित तारीखें निम्‍नानुसार हैं:-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | आईआईटी का नाम | स्‍थायी स्‍थानांतरण |
| **01.** | **आईआईटी पटना**  | **25.07.2015** |
| **02.** | **आईआईटी भुवनेश्‍वर**  | **दिसंबर, 2015** |
| **03.** | **आईआईटी गांधीनगर** | **08.07.2015** |
| **04.** | **आईआईटी हैदराबाद** | **01.01.2016** |
| **05.** | **आईआईटी इंदौर** | **01.03.2016** |
| **06.** | **आईआईटी मंडी** | **दिसंबर, 2015** |
| **07.** | **आईआईटी जोधपुर** | **सितंबर, 2016**  |
| **08.** | **आईआईटी रोपड़**  | **अप्रैल, 2017** |

**(ग): विगत तीन वर्ष के दौरान नए आईआईटी द्वारा किराये और बस भाड़े पर व्‍यय की गई राशि का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | संस्‍थान | किराये पर व्‍यय | बस-भाड़े पर व्‍यय |
| **1.** | **आईआईटी-इंदौर**  | **13,24,99,781/-** | **2,22,62,791/-** |
| **2.** | **आईआईटी-हैदराबाद**  | **4,88,12,000/-** | **3,86,82,000/-** |
| **3.** | **आईआईटी-रोपड़**  | **शून्‍य**\* | **शून्‍य**\* |
| **4.** | **आईआईटी-भुवनेश्‍वर**  | **7,08,38,381/-** | **2,40,77,148/-** |
| **5.** | **आईआईटी-गांधीनगर**  | **2,69,00,000/-** | **शून्‍य**@ |
| **6.** | **आईआईटी-जोधपुर** | **7,51,98,473/-** | **1,88,71,471/-** |
| **7.** | **आईआईटी-मंडी** | **56,93,000/-** | **1,29,40,000/-** |
| **8.** | **आईआईटी-पटना**  | **4,98,48,000/-** | **शून्‍य**# |

**\* राज्‍य सरकारों द्वारा नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराए गए ट्रांजिट परिसर।**

**\* संस्‍थान की अपनी परिवहन व्‍यवस्‍था है।**

**@ कोई वाहन किराए पर नहीं लिया गया है।**

**# संस्‍थान द्वारा किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।**

**(घ): जी, नहीं। संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा भूमि सौंपने में शामिल प्रक्रियाओं, पर्यावरण मंजूरी, सहायक अवसंरचना का निर्माण करने और कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण के कारण उठने वाले मुद्दों के कारणों से विलंब हुआ था।**

\*\*\*\*\*